संख्या-4/2026 /ई-1/तेरह-2026-1913176/25

प्रेषक,

दयाराम,
उप सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2026

विषयः आबकारी विभाग में निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहनों के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी-2214/एक-लेखा-16(गाड़ी) / वाहन क्रय/ 2025-26, दिनांक 12.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीयवर्ष 2025-26 में लेखा शीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-अधीक्षण के मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय" में अवशेष धनराशि रू.44,91,127/- में से नीलाम हुये 04 वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापनास्वरूप बोलेरो बी-6 बीएस 6 माडल (ए.सी.) के 03 बोलेरो वाहन रू. 8,03,774.40×03= 24,11,323.20/- अर्थात रू.- 24,11,323/-(रू. चौबीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ तेइस मात्र) में तथा 01 इनोवा क्रिस्टा रू. 18,45,744.16/- अर्थात रू. 18,45,744/-(रू. अट्ठारह लाख पैंतालीस हजार सात सौ चौवालिस मात्र) में क्रय किये जाने हेतु कुल रू. 42,57,067/- (बयालीस लाख सत्तावन हजार सरसठ रू.मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. विभाग द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. विभाग द्वारा परिवहन विभाग तथा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. यह भी अपेक्षित है कि आलेख्य में अंकित तथ्यों एवं लेखाशीर्ष आंकडों की शुद्धता की पुष्टि करते हुए तद्नुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र E-9-643-X-2025-26- दिनांक: 30-3-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

संख्या-4/2026 (1)/ई-1/तेरह-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. - महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. - मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. - वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. - वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. - विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।